न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 509–पीबीआर/08 विरूद्ध आदेश दिनांक 29.3.08 पारित द्वारा अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर प्रकरण क्रमांक 175/2005–06/अपील.

1– गुलाब चंद पुत्र श्री धर्मचंद जैन
2– अनिल कुमार पुत्र श्री धर्मचंद जैन
निवासी ग्राम शाढ़ोरा
तह. जिला अशोकनगर ——— आवेदक

विरूद्ध

1– शिखर चंद पुत्र श्री फूलचंद जैन

2– गुणमाला बाई पत्नि श्री शिखर चंद जैन
निवासी कूजड़ा मोहल्ला शाढ़ोरा
तह. व जिला अशोकनगर म.प्र.

3– नेमीचंद जैन पुत्र श्री फूल चंद जैन
निवासी मेन बाजार शाढ़ोरा
तह. व जिला अशोकनगर म.प्र.

4– मासूम बाई वेबा श्री हसरत बेग

5– समीम बेग पुत्र श्री हसरत बेग
निवासीगण ग्राम शाढ़ोरा पठखेरिया
मोहल्ला जिला अशोकनगर म.प्र.

6– मुन्नी बाई पुत्री श्री हसरत बेग पत्नि
सलीम खां
निवासी ग्राम लहरगांव पोस्ट म्याना
जिला गुना म.प्र.

7– गुड्डीबाई पुत्री श्री हसरत बेग
पत्नि सुलेमान खां
निवासी ग्राम रूठयाई नागौरी
मोहल्ला जिला गुना म.प्र.

8– रूक्को बाई वेबा श्री हसरत बेग
निवासी ग्राम प्राणपुरा तह. चंदेरी
जिला अशोकनगर म.प्र.

9– लाईका बानो वेबा जमाल बेग

10— अफसार बेग पुत्र श्री जमाल बेग

11— इल्तयाज बेगा पुत्र श्री जमाल बेग
ना.बा. द्वारा सरपरस्त माता लाईका बानो
निवासीगण ग्राम शाढ़ोरा पठखेरिया
मोहल्ला जिला अशोकनगर म.प्र.

12— अफसाना बानो पुत्री श्री जमाल बेग
पत्नी श्री अतीक खां
निवासी मैदानगली चन्देरी
जिला अशोकनगर म.प्र. ------ अनावेदकगण

श्री एल. एस. धाकड़, अधिवक्ता, आवेदक.
श्री मुकेश भार्गव, अधिवक्ता, अनावेदक कमांक 1 एवं 2.

:: आदेश ::

(आज दिनांक 01 सितम्बर, 14 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के प्रकरण कमांक 175 / 2005—06 / अपील में पारित आदेश दिनांक 29—3—08 के विरूद्ध म.प्र. भू--राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई है ।

2— प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार हैं कि तहसीलदार, शाढ़ोरा के द्वारा पारित आदेश दिनांक 26—12—2000 द्वारा ग्राम शाढ़ोरा की भूमि सर्वे नं. 1201 / रकबा 2.414 हैक्टर का बटवारा आदेश उभयपक्ष के मध्य पारित किया गया । इस आदेश के विरूद्ध अनावेदक शिखरचंद द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील की जो उन्होंने स्वीकार की एवं प्रकरण आवश्यक निर्देष के साथ प्रत्यावर्तित किया । इस आदेश के विरूद्ध आवेदकों ने अधीनस्थ न्यायालय में द्वितीय अपील पेश की जो अपर आयुक्त ने आलोच्य आदेश द्वारा निरस्त की है । अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेष की गई है ।

3— आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि विचारण न्यायालय द्वारा विधिवत प्रकिया अपनाकर बटवारा आदेश पारित किया गया है । फर्द बटवारा विधिवत तैयार कराया जाकर आपत्तिया आमंत्रित की गई किंतु कोई

आपत्तियां न आने से फर्द बटवारे की पुष्टि की गई है । तहसील न्यायालय द्वारा बटवारा आदेश सहमति के आधार पर पारित किया है । प्रकरण में प्रत्यावर्तन का कोई आधार न होते हुए भी अनविभागीय अधिकारी ने प्रकरण प्रत्यावर्तित किया है, जिसे स्थिर रखने में अपर आयुक्त ने त्रुटि की है ।

4– अनावेदकगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिये गये हैं कि विचारण न्यायालय में अनावेदकों को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया है । सम्पूर्ण भूमि एक जैसी नहीं है । इस कारण अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण प्रत्यावर्तित करने में कोई त्रुटि नहीं की है । दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष हैं जिनमें हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है ।

5– उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया गया । यह प्रकरण बटवारे का है जिसमें विचारण न्यायालय द्वारा उभयपक्ष के मध्य बटवारा आदेश पारित किया गया । विचारण न्यायालय के आदेश को अनुविभागीय अधिकारी द्वारा इस आधार पर निरस्त किया गया है कि पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है, पक्षकारों पर तामील प्रथमवार में चस्पा करके निर्वाह कराई गई जो विधिवत नहीं है, इश्तहार भी विधिवत जारी नहीं हुआ है तथा फर्द बटवारा का प्रकाशन औपचारिक किया गया है । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि अपर आयुक्त ने की है । अभिलेख को देखने से अनुविभागीय अधिकारी द्वारा जो आदेश पारित किया गया है वह अभिलेख पर आधारित नहीं है क्योंकि प्रकरण में अनावेदक नेमीचंद जैन एवं शिखर चंद जैन उपस्थित हुए हैं । फर्द बटवारे पर अनावेदक शिखरचंद ने आपत्ति भी की है । तहसील न्यायालय की आदेश पत्रिका दिनांक 22–12–2000 जिस दिन उभयपक्ष की बहस सुनी गई, उसमें उभयपक्षों द्वारा मौके अनुसार बटांकन किये जाने तथा फर्दों पर सहमति दिए जाने का उल्लेख किया गया है । आदेश पत्रिका के मार्जिन में पक्षकारों के हस्ताक्षर भी हैं । अत: अनुविभागीय अधिकारी का यह निष्कर्ष कि अनावेदकों को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया तथा फर्द बटवारे का प्रकाशन औपचारिक है मान्य किए जाने योग्य नहीं है । तहसील न्यायालय के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि अनावेदकों द्वारा फर्द बटवारे पर जो आपत्ति की गई है उसके संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण नायब तहसीलदार द्वारा पटवारी द्वारा प्रस्तुत बटवारा फर्द की पुष्टि करते हुए संहिता की धारा 178 तहत बटवारा स्वीकार किया गया

है । उक्त तथ्य को अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त ने अनदेखा किया है । अतः प्रकरण की समग्र परिस्थितियों पर विचार के पश्चात यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त के जो आदेश हैं वह स्थिर रखे जाने योग्य नहीं हैं ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार की जाती है तथा अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.3.08 एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.11.05 न्यायिक एवं विधिसम्मत नहीं होने से निरस्त किए जाते हैं तथा नायब तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 26–12–2000 स्थिर रखा जाता है ।

(एम. के. सिंह)
सदस्य,
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश,
ग्वालियर